

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 5/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/16

अनवान

मु0 लादी पत्नी माधू जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीया

बनाम

- 1- बरदू पिता काशी जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. मकनी पत्नी मगना जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- रामेश्वर पिता हीरा जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- कनीराम पिता बन्ना जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामस्वरूप पिता धन्ना जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- सोनारायण पिता रामकिशन जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- सुरतराम पिता धूकल जाट निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 04.01.2024

उपस्थित :-

श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीया
विपक्षीगण संख्या 1, 4 से 7 एकपक्षीय

::- निर्णय -::

दिनांक : 06.08.2025

1. वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम आमली कलां प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.39 है0, 1726 रकबा 0.30 है0, 1729 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। दिनांक 05.12.2023 को प्रार्थीया अपनी आराजी पर गई तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। अतः वाद हेतु तारीख 05.12.2023 से पैदा होकर जारी है।
2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 1, 4 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध दिनांक 06.08.2025को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं विपक्षीगण सं0 2, 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से दिनांक 06.08.25 को उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई।
3. प्रार्थीया अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम आमली कलां प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.39 है0, 1726 रकबा 0.30 है0, 1729 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम आमली कलां प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1723 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

0.39 है0, 1726 रकबा 0.30 है0, 1729 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीया वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.39 है0, 1726 रकबा 0.30 है0, 1729 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 की अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीया हकदार प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम आमली कलां प0ह0 आमली कलां भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.39 है0, 1726 रकबा 0.30 है0, 1729 रकबा 0.19 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थीया की आराजी का प्रार्थीया के व्यय पर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 06-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा